मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु दिनांक–26–5–2005 को प्रातः10.30 बजे सर्किट हाउस (एनेक्सी) में आयोजित बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की उपस्थिति :–

क0सं0	नाम / पदनाम	हस्ताक्षर
1–	सुभाष कुमार, आयुक्त / अध्यक्ष, गढवाल मण्डल,	26/5/05
2–	पी·सी·शर्मा	
3–	राधा रतूड़ी सचिव वित्त	
4–	पुनीत कंसल, जिलाधिकारी, देहरादून	26/5/05
5–	[illegible] सिंह मुख्य [illegible]	
6–	[illegible]	
7–	S.N. Bhatt S.E. Jalnigam.	
8–	उमेश चन्द्र कबड्वाल, मुख्य नगर अधिकारी देहरादून	26.05.05
9–	मदनसिंह [illegible] ADM	
10–	L. FANAI. Addl secy Planning	
11.	Subrata Biswas अपर सचिव	

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के मास्टरप्लान को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26-5-2005 को हुयी बैठक का कार्यवृत्त

प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 12–5–2005 में लिये गये निर्णय के अनुसा प्राधिकरण की बैठक आज दिनांक 26–5–2005 को की गई जिसमें प्रस्तावित महायोना के प्रारूप पर चर्चा करने के बाद इसे जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने उद्धेश्य से शहर के 6 मुख्य मुख्य स्थानों पर यथा– मसूरी देहरादून विकास प्राधिण, प्रभारी अधिकारी, सी0टी0सी0पी0 कार्यालय, नगर निगम, कलक्ट्रेट, जिला विकाकार्यालय एवं आयुक्त गढवाल मण्डल के 26 ई0सी0 रोड स्थित कार्यालयों में जनरण के अवलोकनार्थ प्रदर्शित करने का निर्णय निम्न शर्तो के साथ साथ लिया गया

1– र्व में गठित उप समिति जो उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अध्य में बनी थी वह अपना कार्य किन्हीं कारणोवश पूरा नहीं कर पाई है । यह निलिया गया कि यह समिति अब भी पूर्व की भांति कार्य करती रहेगी तथा हर 3 सप्के बाद अपनी आख्या अध्यक्ष/मण्डलायुक्त को प्रेषित करेगी और यदि आता हुई तो बोर्ड की बैठक बुलाकर उसमें चर्चा की जायेगी ।

2-ह भी निर्णय लिया गया कि जोनल डेवलपमैन्ट प्लान/माईक्रोजोनेशन का कसाथ साथ कर लिया जाय । इस हेतु प्राधिकरण 27 जोनल प्लान बनाने के ल्टिसोर्सिंग की व्यवस्था करे ।

3- उप समिति गठित है वह समिति के रूप में तथा individual के रूप में भीप्लान पर यदि कोई आपत्ति/सुझाव है तो objector के रूप में कार्य कर स

4के अतिरिक्त समस्त शासकीय/अशासकीय विभाग, प्राधिकरण तथा गैर स्थायें भी प्रस्तावित मास्टर प्लान के सम्बन्ध में कोई सुझाव/आपत्ति हो तो प्र सकते हैं ।

5व/आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि इस विज्ञप्ति के समाचार पत्र में प्रे की तिथि से 3 माह के लिये निर्धारित की जाती है । यह भी निर्णय

(MNA)

लिया गया कि आपत्ति/सुझाव सुनने के लिये शासन के आवास विभाग से अनुरोध कर लिया जाय कि वे इस समिति में अधिकारियों का चयन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार करें ।

6— जहाँ—जहाँ प्रस्तावित मास्टर प्लान के नक्शे प्रदर्शित किये जायेगें वहीं इस सम्बन्धमें तैयार प्रतिवेदन भी अवलोकनार्थ उपलब्ध होगा ।

7— यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक प्रस्तावित महायोजना का अन्तिमीकरण नहीं हो जाता तब तक पूर्ववत व्यवस्था लागू रहेगी ।

8— यह भी निर्णय लिया गया कि महायोजना के मुद्रण एवं प्रकाशन के लिये प्राधिकरण, पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सी0 टी0सी0पी0 को 2—50 लाख रूपये उपलब्ध करा देगा ।

1— [signature] 26/5/05

2 [signature] 26/5/05

3— [signature] 26/5

4— [signature] 26/5/05

5— [signature] 26/5

6— [signature] 26/5/05

7— [signature] 26/5

9. [signature] 26/5/2005

8. [signature] 26.5.05 (MNA)

आयुक्त / अध्यक्ष,

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 4.8.05 की कार्यवाही संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया हस्ताक्षर करनें का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष,